भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2707

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

एआई और मीडिया का दुरुपयोग

2707. श्री विवेक ठाकुरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मीडिया यथा एआई द्वारा तैयार किए गए फर्जी वीडियो और ऑडियो के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं। नियमों के भाग-II में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। आचार संहिता में यह प्रावधान है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करेंगे जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध है, जिसमें अवैध एआई सृजित सामग्री शामिल है।

मध्यस्थों/सोशल मीडिया मध्यस्थों पर उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए, आईटी नियम, 2021 का भाग-II ऐसे मध्यस्थों पर गैरकानूनी सूचना को हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट कानूनी दायित्व डालता है, जिसमें विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध सूचना, स्पष्ट रूप से झूठ, असत्य या भ्रामक सूचना शामिल है।

इसके अलावा, साइबरस्पेस में गलत सूचना, एआई द्वारा संचालित डीपफेक जैसी उभरती समस्याओं से निपटने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 26.12.2023 और 15.03.2024 को एडवाइजरी जारी की हैं, जिसमें मध्यस्थों को आईटी नियम, 2021 के तहत उल्लिखित उनके दायित्वों के बारे में याद दिलाया गया है और उन्हें दुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफेक' सहित गैरकानूनी सामग्री से निपटने की सलाह दी गई है।

****